दिनांक	आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	आदेश पालनार्थ प्रचलि... आदेशों के क्रमांक व दि...
3/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। CPC धारा 151, आदेश 7 नियम 11 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा वसीयत को वाद का मुख्य आधार बनाकर अपने दादा वसीयतकर्ता बीरूराम के जीवनकाल में ही वसीयतकर्ता बीरूराम को बतौर पक्षकार वाद बनाकर इस आशय का अनुतोष चाहा है कि विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विभाजन हो। प्रार्थी ने दौराने बहस में कहा कि वसीयत को आधार बनाकर मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक न तो प्राप्त होता है और ना ही वाद हेतुक प्लीडिंग्स में प्रकट होता है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधि. वसीयत विधि के प्रावधानों के अनुरूप वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बोगस स्कीम आधारित ऐसे तुच्छ वादों को बिना विचारण किये प्राथमिक स्तर पर डिसमिस किया जाना चाहिए। अपने कथन के समर्थन में विभिन्न माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने जवाब ना देकर सीधा अपनी बहस में कहा कि वाद लिहाजा अधिकारिता [illegible] स्वीकार्य का है, जिसका अधि[illegible] को है। प्रार्थी/प्रति[illegible] दौराने बहस में कथन किया कि CPC धारा 151 में भी Su-motto भी इस पर विचार किया जा सकता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

According to Supreme of India "CPC section 151, Order 7, Rule 11 - Provision of O.7.R11 CPC is not exhaustive - Court has inherent power to see that frivolous or vexatious litigations are not allowed to consume the time of court."

उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन व सम्मानीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि —

Suit for declaration challenging validity of Will - Suit filed during life-time of testator - No cause of action accrues to the plaintiff, as cause of action to challenge validity of Will arises only after death of testator - Suit, held, not maintainable - Plaint rejected (Para 8)

[Punjab and Harayana Court, Dinesh Kumar Vs Perhlad Gupta & Ors.]

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त बखूबी चस्पा होते हैं। If clever drafting creates the illusion of a cause of action, Court will nip it in the bud at the earliest so that bogus litigation will end at the earlier stage.

उक्त विवेचन के आधार पर [illegible] प्रार्थी अन्तर्गत CPC धारा 151, O[illegible] जाती है इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner